न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 80 / 2023

1 दुर्गाराम पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी जगदीशपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नानूराम पुत्र जुहारा जाति माली निवासी जगदीशपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी निर्णय दिनांक 07.07.2022 बमुकदमा उनवानी दुर्गाराम बनाम ननूराम वगैरह मुकदमा नम्बर 275 / 2021

उपस्थिति :

1. श्री मो0 रफीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 30.1.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 275/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 400/48 रकबा 031 हैक्टेयर ग्राम जगदीशपुरा पटवार हल्का पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार अपीलान्ट है। अपीलान्ट ने अपने खेत खसरा नम्बर 400/48 में आने जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी में प्रस्तुत किया था। अपीलान्ट ने अपने खेत खसरा नम्बर 400/48 में जाने हेतु खेत खसरा नम्बर 47 में से 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय की अपीलांट के अधिवक्ता ने जानकारी नहीं दी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा गलत रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट नं. 1 के प्रभाव में आकर तैयार की है फिर भी तहसीलदार की रिपोर्ट का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(केम्प झुन्झुनू)

अवलोकन किया जावे एवं रिपोर्ट के साथ तैयार किये गये नजरी नक्शे का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 194 गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 47 की सीमा में प्रवेश करते हुए खसरा नम्बर 52 व 50 तक जाता है जिससे प्रार्थी के खेत की दुरी न्यूनतम दुरी है फिर भी विचारण न्यायालय ने तहसीलदार उदयपुरवाटी को स्पष्ट रिपोर्ट लाने के लिए दुसरी तहरीर जारी नही की। तहसीलदार उदयपुरवाटी की गलत रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलान्ट के प्रकरण को खारिज करने में गलती कानूनी की है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 400/48 में जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नहीं है उक्त तथ्य तहसीलदार उदयपुरवाटी की मौका रिपोर्ट से भी साबित होता है। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष प्रकरण पेश करने एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की तामील होने के बाद रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने जानबूझकर मौके पर निर्माण कर लिया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निर्णित किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने 1 साल के विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। गुणावगुण पर कथन किया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 18.03.2022 में भू अभिलेख निरिक्षक ने नजरी नक्शा मौका अंकित कर स्पष्ट अंकन किया है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 47 में चाहे गये रास्ते की दूरी 200 मीटर है। इस रास्ते में दिवार व टिन सेट, बाथरूम बना हुआ है जबकि प्रार्थी अपीलांट के खेत से सटे हुये खसरा नम्बर 35 से रास्ता दिये जाने पर दूरी 160 मीटर होती है एवं यह भूमि मौके पर खाली भी है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें। अपीलांट खसरा नम्बर 35 से रास्ता ले सकता है। इस हेतु प्रकरण रिमांड किये जाने पर आपत्ति नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि विचाराधीन निर्णय की अपीलांट के अधिवक्ता ने जानकारी नहीं दी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 18.03.2022 में भू अभिलेख निरिक्षक ने नजरी नक्शा मौका अंकित कर स्पष्ट अंकन किया है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 47 में चाहे गये रास्ते की दूरी 200 मीटर है। इस रास्ते में दिवार व टिन सेट, बाथरूम बना हुआ है जबकि प्रार्थी अपीलांट के खेत से सटे हुये खसरा नम्बर 35 से रास्ता दिये जाने पर दूरी 160 मीटर होती है एवं यह भूमि मौके पर खाली भी है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

यहां यह भी विचारणीय है कि मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अपीलांट के पास मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। धारा 251 ए में जिस काश्तकार के पास रास्ता नहीं हो उसे रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का विधिक प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अपीलांट के खेत के निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 35 में से दिया जा सकता है। विचारण न्यायालय में खसरा नम्बर 35 के काश्तकार को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय को निर्देशित कर प्रकरण इस हेतु रिमांड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय यथावत रखा जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि खसरा नम्बर 35 के खातेदार को पक्षकार संयोजित कर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.1.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर